माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / /2016 पुनर्विलोकन

1. दीपक कुमार गुप्ता
2. धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता
3. संतोष कुमार गुप्ता
4. रवि कुमार गुप्ता
   पुत्रगण स्व. श्री चिरौजीलाल गुप्ता
5. मुस. दमयन्ती पत्नी स्व.श्री चिरौजीलाल गुप्ता
   समस्त निवासी लवकुशनगर जिला छतरपुर(म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन .....अनावेंदक

पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.08.2016 पारित द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वलियर म.प्र. के प्र.क्र. 2615–I/2016/निगरानी से असन्तुष्ट होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदकगणों की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, भूमि खसरा नं. 1744/2 रकवा 0.30 हिस्मिल स्थित मौजा लबकुशनगर की भूमि आवेदकगणों की पैत्रक भूमि है जो वर्ष 1953–1954 (संबत्2011) से आवेदकगणों के बाब सुल्ला बल्द कामता बानिया के नाम दर्ज कागजाद रही तथा उनकी मृत्यु की बाद आवेदकगणों के पिता रामचरन उर्फ चिरौजीलाल बल्द सुल्ला बानिया के नाम फौती नामांतरण दर्ज कागजाद हुआ तथा रामचरन उर्फ चिरौंजीलाल की मृत्यु के बाद आवेदकगण के नाम वारसान

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2944/1/2016 पुर्नविलोकन — जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-2017	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस.धाकड उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह पुर्नविलोकन प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 2615-1/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-8-2016 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि,मौजा लवकुशनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 1744/2 रकबा 0.30 एकड़ आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है जो वर्ष 1953-54 में आवेदकगण के बाबा सुल्ला बल्द कामता बनिया के नाम भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य में दर्ज रही उनकी मृत्यु बाद आवेदकगण के पिता रामचरन उर्फ चिरौंजिलाल बल्द सुल्ला बनिया के नाम फौती नामान्तरण किया गया आवेदकगण के पिता की मृत्यु पश्चात उक्त विवादित भूमि पर आवेदकगण का वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया उक्त भूमि पर म.प्र.शासन दर्ज कराये जाने बावत् तहसीलदार लवकुशनगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार द्वारा प्र0क0 49/अ-6अ/14-15 (शकुन्तलादेवी बनाम धर्मेन्द्र गुप्ता) पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 31-3-2016 को निरस्त किया। पुनः एक शिकायती आवेदन के आधार पर तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा प्रकरण कमांक 537/बी-121/2015-16 (कुसुम महदेले बनाम दीपक कुमार गुप्ता अंय) दर्ज किया जाकर, दिनांक 2-8-2016 को उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर को उक्त भूमि म0प्र0शासन सड़क दर्ज किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष	

निगरानी प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 5–8–2016 को अमान्य की गई। राजस्व मण्डल के इसी आदेश से परिवेदित होकर, आवेदकगण द्वारा यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा मूल अभिलेख एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, भूमि खसरा नंबर 1744/2 रकबा 0.30 एकड़ आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है जो वर्ष 1953–54 में आवेदकगण के बाबा सुल्ला बल्द कामता के नाम भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य में दर्ज रही उनकी मृत्यु बाद आवेदकगण के पिता का फौती नामान्तरण किया गया। आवेदकगण के पिता की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि पर आवेदकगण का वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया। आवेक्ति भूमि संवत 2011 अर्थात वर्ष 1953–54 में आवेदकगण के बाबा के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य में दर्ज है। जो विध्य प्रदेश मालगुजारी तथा काश्तकारी अधिनियम 1953 की धारा 2 निर्वचन खंड व्याख्या (त) "पटटेदार काश्तकार से तात्पर्य" "अ" 5545 काश्तकार से भिंन ऐसा कोई काश्तकार जिसको रीवा लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी कोड 1935 के अंतर्गत पटटेदार के अधिकार प्रदान किये गये हो और ऐसे अधिकार इस अधिनियम से प्रारम्भ होने के समय चले आ रहे हो तथा म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 भूमि स्वामी (1) के घ प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध मे जो कि विंध्यप्रदेश लेंड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी एक्ट 1953 में यथा परिभाषित पचपन पैतालीस कृषक, निकुंजधारी के रूप में तालाब धारक के रूप में उसके द्वारा विंध्यप्रदेश के रूप में धारित हेा को भूमि स्वामी माना जावेगा।

विचारणीय बिन्दु यह है कि,इस प्रकरण में विवादित भूमि को तहसीलदार लवकुशनगर ने राजस्व प्रकरण कमांक 49/अ–6अ/14–15 में पारित आदेश दिनांक 31–3–2016 द्वारा उक्त भूमि को आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य

की भूमि माना है। तब पुनः उसी भूमि को दूसरे प्र0क0 में म.प्र.शासन दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 2–8–2016 को प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर को प्रेषित किये जाने में त्रुटि की गई है। इस कारण तहसीलदार का आदेश विधिसम्मत नहीं है, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा स्थिर रखा गया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकार तहसीलदार एवं राजस्व मण्डल का आदेश न्यायिक एंव औचित्यपूर्ण न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–8–2016, एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाकर, पुर्नविलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है।

सदस्य